न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदेन सहायक कलक्टर हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारीः – नेहा छीपा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 08/2019(313/12)

1. राधेश्याम पुत्र रामपाल बल्दवा नि0 भदादा बाग के सामने, भोपालगंज जिला भीलवाड़ा (राज0)

—— वादी

बनाम

1. श्री उदय लाल पुत्र श्री माना अहिर नि0 तख्तपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
2. श्री तुलसीराम पुत्र श्री माना अहिर नि0 तख्तपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
3. श्री रतन लाल पुत्र श्री माना अहिर नि0 तख्तपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
4. श्रीमती नन्दू बाई पुत्री माना अहिर नि0 तख्तपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज0)

—— प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु

उपस्थित :–

1. श्री दिनेश मण्डोवरा –अधिवक्ता वादी
2. श्री सुरेश चन्द्र अहीर—अधिवक्ता प्र.सं.1 से 3
3. प्रतिवादी संख्या 04 अनु0
4. पेरोकार सरकार–प्रतिवादी संख्या 05

:: निर्णय ::

दिनांक– 20.05.2025

प्रकरण के संक्षेप मे. तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने आदेश 07 नियम 01 व 02 के तहत यह वाद निम्न आधारों पर प्रस्तुत कर सादर निवेदन करते है कि वादी के स्वामित्व आधिपत्य की सरहद ग्राम तख्तपुरा पटवार हल्का तख्तपुरा तह0 व जिला भीलवाडा की खतोनी संख्या 324 आराजी संख्या 1184/1 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा, आराजी संख्या 1186 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है जो कि वादी के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है आराजी के पडौस निम्न है :–

पूर्व :– राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79

पश्चिमः– रास्ता

उत्तरः– प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 की जायदाद

दक्षिणः– मधुबाला पिता भैरू लाल जी जैनल की जायदाद

यह है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से लागयत 04 की आराजियात् के मध्य कोई किसी प्रकार का विभाजन नहीं है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 ने अपनी आराजियात् के साथ साथ वादी के खातेदारी अधिकारी की आराजी संख्या 1186 की पश्चिमी मेड पर 05 बिस्वा पर धीरे धीरे खिसकते हुए जबरन कब्जा कर लिया। वादी को इस पर अर्थात अपने खातेदारी अधिकार की आराजियात् पर कब्जा कम होने की आंशका होने पर वादी ने वाद की धारा 01 में वर्णित आराजियात् की पत्थरगढी करने हेतू न्यायालय आप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 291/2012 कायम हो दिनांक 10/04/2012 को निर्णय पारीत कर आदेश

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

फरमाया गया जिसकी तामील में दिनांक 19/06/2012 को मौके पर बमुकाबले प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 वादी की खातेदारी अधिकार की आराजियात् जिनका उल्लेख वाद की धारा 01 में किया गया है, की पत्थरगढी की गई। जिस पर वादी की आराजी संख्या 1186 के पश्चिमी मेड पर 05 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 ने अपनी आराजी संख्या 977–मी में मिला लिया जो वादी के खातेदारी अधिकार की है, पर कब्जा प्रतिवादी संख्या 01 उदय लाल पुत्र श्री माना अहिर का होना पाया गया। इस हेतू प्रमाण में पर्चा मौंका की प्रमाणित नकल हमराह वाद पेश है। यह है कि वादी ने तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 को आराजी संख्या 1186 के पश्चिमी मेड़ रकबा 05 बिस्वा पर से अपना नाजायज कब्जा हटा उक्त आराजियात् का कब्जा वादी को सिपुर्द करने हेतू कई बार तकाजा किया किन्तु प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 इस हेतू तैयार नही हुऐ। इस कारण वादी को यह वाद कब्जेयाबी आराजियात् का प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 के विरूद्ध प्रस्तुत करने की नौईयत पैदा हुई है।

यह है कि प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 के उक्त नाजायज फेल से अर्थात वादी के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 1186 रक़बा 05 बिस्वा पर नाजायज कब्जा करने से वादी ने अपनी खातेदारी अधिकार की आराजियात् के उपयोग उपभोग व उस पर काश्त करने से गेहरूम हो गया है। इस कारण वादी प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 से प्रति साख 500/– बतौर हर्जाना के दिनांक 19/06/2012 से अर्थात सर्वप्रथम जानकारी होने की दिनांक से विवादित आराजी संख्या 1186 रकबा 05 बिस्वा का कब्जा सिपुर्द होने की तारीख तक प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी है। जिस हेतू यह वाद पेश है।

यह है कि वादी अब तक इसी भ्रम में रहे है कि वह अपने खातेदारी अधिकार की समस्त आराजियातो पर काबिज है किन्तु प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 द्वारा धीरे धीरे खिसक कर वादी के खातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 1186 रकबा 05 बिस्वा पर जबरन आधिपत्य करने की जानकारी वादी को सर्वप्रथम दिनांक 19/06/2012 से हुई जिस हेतू वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 को कई बार तकाजा किया किन्तु प्रतिवादी संख्या 01 से लागायत 04 इस हेतू तैयार नही होने से वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 04 को आखरी तकाजा दिनांक 19/09/2012 को करने पर बिनायवाद दिनांक 19/06/2012 से उत्पन्न होकर जारी है। यह है कि विवादित जमीन न्यायालय श्रीमान् के अधिकार क्षेत्र मे स्थित होने से वाद हाजा की श्रवणाधिकारिता न्यायालय आपकों होने से यह वाद न्यायालय श्रीमान् में पेश है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किया गया व प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 अनु0 प्रतिवादी संख्या 04 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। मामले मे निम्न विवाद्यक कायम किये गये–

1. आया वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजियात मे से आराजी नं. 1186 रकबा 01 बिघा 15 बिस्वा भूमि में से 05 पॉच बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 का अवेध/नाजायज कब्जा कर रखा है।

उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ़ (राज.)

––बजिम्मे वादी

2. आया आया वादपत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित आराजियात मे से आराजी नं. 1186 रकबा 01 बिघा 15 बिस्वा भूमि में से 05 पॉच बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी से अवेध/नाजायज कब्जा हटाकर उक्त आराजी वादी पुनः प्राप्त करने का अधिकारी है।

––बजिम्मे वादी

वादी की ओर से अपनी साक्ष्य मे शपथपत्र पी.डब्ल्यू–1, पी.डब्ल्यू–2 के रूप मे शपथपत्र पेश किया गया व जमाबंदी की नकल, पर्चा मौका व नक्षा ट्रेस, पत्थरगढ़ी आदेश प्रदर्श पी–1 लगायत पी.–4 को प्रदर्शित करवाया गया।

विवाद्यक संख्या 01 जो कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादी के जिम्मे निर्णित किया गया व साथ ही विवाद्यक संख्या 02 जो कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब से प्रतिवादी संख्या 01 से 03 पूर्णतया अपने पक्ष मे साबित नही करा पाये, विवाद्यक संख्या 01 एवं 02 प्रतिवादी संख्या 01 से 03 के विरूद्व व वादी के पक्ष मे निर्णित किया गया।

वादी के अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया , पटवार हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढ़ी आदेश पर तैयार किये गये पर्चा मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मौका रिपोर्ट मे भी वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 से 04 का अवैध कब्जा पाया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएव

–:: आदेश ::–

अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 01 से 04 ने वादीगण की सरहद तख्तपुरा पटवार हल्का तख्तपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 1186 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा मे से 05 बिस्वा भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है उससे उसे बेदखल किया जाकर इस 05 बिस्वा भूमि का कब्जा पुनः वादी को दिलाया जाने बाबत् बेदखली आराजियात की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जाती है ।

तहसीलदार हमीरगढ डिक्री अनुसार वादीगण को उक्त 05 बिस्वा भूमि का कब्जा प्रतिवादी सं. 01 से 04 से दिलाया जाना सुनिश्चित करे। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे । निर्णय अनुसार डिक्री मुर्तिब की जावे । निर्णय दिनांक 20.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ़

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ
जिला–भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)

: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :

{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

पीठासीन अधिकारी – नेहा छीपा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 08/2019(313/12)

1. राधेश्याम पुत्र रामपाल बल्दवा नि0 भदादा बाग के सामने, भोपालगंज जिला भीलवाड़ा (राज0)

–– वादी

बनाम

1. श्री उदय लाल पुत्र श्री माना अहिर नि0 तख्तपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
2. श्री तुलसीराम पुत्र श्री माना अहिर नि0 तख्तपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
3. श्री रतन लाल पुत्र श्री माना अहिर नि0 तख्तपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
4. श्रीमती नन्दू बाई पुत्री माना अहिर नि0 तख्तपुरा तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ़ जिला भीलवाडा (राज0)

–– प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु

उपस्थित :–

1. श्री दिनेश मण्डोवरा –अधिवक्ता वादी
2. श्री सुरेश चन्द्र अहीर ––अधिवक्ता प्र.सं.1 व 3
3. प्रतिवादी संख्या 04 अनु0
4. पेरोकार सरकार–प्रतिवादी संख्या 05

दिनांक 20–05–2025

वादीगण की ओर से श्री दिनेश कुमार मण्डोवरा , एडवोकेट और प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 20–05–2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि ––और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि – को दी जायें।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत किया गया राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 01 से 04 ने वादीगण की सरहद तख्तपुरा पटवार हल्का तख्तपुरा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 1186 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा मे से 05 बिस्वा भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है उससे उसे बेदखल किया जाकर इस 05 बिस्वा भूमि का कब्जा पुनः वादी को दिलाया जाने बाबत् बेदखली आराजियात की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित की जाती है । तहसीलदार हमीरगढ डिक्री अनुसार वादीगण को उक्त 05 बिस्वा भूमि का कब्जा प्रतिवादी सं. 01 से 04 से दिलाया जाना सुनिश्चित करे। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे ।

आज दिनांक 20–05–2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गयी।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर हमीरगढ
जिला भीलवाड़ा(राज.)